Hornbill Classes

2026

MADHYA PRADESH

STATE FOREST SERVICE

भारत एवं मध्यप्रदेश की राजव्यवस्था

Module - 3

MPPSC STATE FOREST SERVICE 2023

Rank – 1
Shashank Jain
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank – 3
Jyoti Thakur
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank – 4
Shivam Gautam
Comprehensive Interview Guidance Programme

Rank – 5
Nitin Patel
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank – 6
Ravi Kumar
Comprehensive Interview Guidance Programme + Test Series

Rank – 7
Ankur Gupta
Comprehensive Forestry Course

Rank – 8
Deependra Lodhi
Comprehensive Interview Guidance Programme

Rank – 9
Kapil Chauhan
Comprehensive Forestry Course

Rank – 10
Alok Kumar Jhariya
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank – 11
Tarun Chouhan
Comprehensive Interview Guidance Programme + Test Series

Rank - 12
Raghvendra Thakur
Comprehensive Forestry Course + Test S. + CIGP

11 Out of **12** Total Selections in

Assistant Conservator of Forest (ACF) 2023

108 Out of **126** Total Selections in

Range Forest Officer (RFO) 2023

Rank – 1
Arvind Ahirwar
Comprehensive Interview Guidance Programme + Test Series

Rank – 2
Pushpendra Singh Ahirwar
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank – 3
Narendra Gunare
Comprehensive Interview Guidance Programme + Test Series

Rank – 4
Jitendra Kumar Verma
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank – 5
Jaishrish Barethiya
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank – 6
Bhavna Sehariya
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank – 7
Pradeep Ahirwar
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank – 8
Anil Kumar Gour
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank – 9
Aakash Kumar Malviya
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank - 11
Rajesh Kumar Jatav
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank - 12
Veerendra Prajapati
Comprehensive Interview Guidance Programme + Test Series

Rank - 13
Dinesh Kumar
Test Series

Rank - 14
Niranjan Dehariya
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank - 15
Abhinay Chouhan
Test Series

Rank - 18
Sher Singh Ahirwar
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank - 19
Pradeep Jatav
Comprehensive Forestry Course + CIGP

Rank - 21
Amit Sisodiya
Comprehensive Interview Guidance Programme

Rank - 22
Abhishek Barodiya
Comprehensive Interview Guidance Programme

Rank - 24
Golu Goyal
Comprehensive Interview Guidance Programme + Test Series

Rank - 25
Pawan Raje
Comprehensive Interview Guidance Programme + Test Series

MPPSC

भारत एवं मध्यप्रदेश की राजव्यवस्था

STATE CIVIL / FOREST SERVICE

Unit 5

Hornbill classes

EDITION : 2026

+917223970423 Hornbillclasses.com

Gole ka mandir, Morar, Gwalior (MP) 474005

SYLLABUS

MPPSC **Civil / Forest** **(Prelim)** Examination	**[Unit – 5] भारत एवं मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था** [Constitutional System of ***India*** and ***Madhya Pradesh***] • संविधान सभा / Constituent Assembly. • संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद / Federal Executive, President and Parliament. • सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था / Supreme Court and Judicial System. • संवैधानिक संशोधन / Constitutional Amendments. • नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत Fundamental Rights and Duties of Citizens, Duties and Directive Principle of State. • राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक/सांविधिक आयोग एवं संस्थायें National and Regional Constitutional/Statutory Commissions and Institutions. • मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था (राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय) / Constitutional System of Madhya Pradesh (Governor, Cabinet, Legislative Assembly, High Court). • मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था Three-Tier Panchayati Raj and Civil Administration system in Madhya Pradesh • मध्यप्रदेश में सुशासन (अभिशासन व्यवस्था) Good Governance in Madhya Pradesh (Governance System).
MPPSC **Forest Service** **(Main)** Examination	**[Unit – 3] मध्यप्रदेश की राजनीति (Politics of M.P.)** • मध्यप्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था (राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा) Political system of MP (Governor, Cabinet, Legislative Assembly). • मध्यप्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था / Panchayati Raj in MP • मध्यप्रदेश की सामाजिक व्यवस्था / Social system of MP
MPPSC **Assistant Professor** Or **Assistant Registrar** Or **Food Safety Officer** Or **Mining Inspector** Or **State Engineering Service** **Examination**	**[Unit – 3] मध्यप्रदेश की राजनीति/ Polities of Madhya Pradesh** ◈ राज्यपांल, मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त। ◈ राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस, कमिश्नर। ◈ जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थायें। ◈ राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्यं महिला आयोग। ◈ ~~अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम, 1989; पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004।~~ ◈ Governor, Chief Minister, Cabinet, Vidhan Sabha, High Court, Lokayukta. ◈ State Secretariat, Chief Secretary, Divisional Commissioner, Police Commissioner. ◈ District Administration, Urban Administration, Local Self Government, Panchayati Raj Institutions. ◈ State Election Commission, State Information Commission, State Scheduled Castes Commission, State Scheduled Tribes Commission, State Backward Classes Commission, State Commission for Women. ◈ ~~Schedule Caste and Schedule Tribe Prevention of Atrocities Act, 1989; Panchayats Extension to Schedule Areas (PESA) Act, 1996; Environment Protection Act, 1986; Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004~~.

Copyright © by Hornbill classes

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored, or transmitted in any form or by any electronic, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of Hornbill classes.

Module - 3

CONTENTS

भाग 1.	**संविधान सभा**	
	1. संविधान की ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि	1 – 8
	2. संविधान का निर्माण	9 – 19
	3. संविधान की प्रमुख विशेषतायें	20 – 29
	4. संविधान की प्रस्तावना	30 – 32
	5. संघ व इसका क्षेत्र	33 – 45
भाग 2.	**नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत**	
	6. मौलिक अधिकार	46 – 69
	7. राज्य के नीति-निदेशक तत्व	70 – 75
	8. मूल कर्तव्य	76 – 77
भाग 3.	**संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद**	
	9. राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति	78 – 94
	10. प्रधानमंत्री व केन्द्रीय मंत्रीपरिषद	95 – 103
	11. भारत का महान्यायवादी	104 – 105
	12. संसद व संसदीय समितियाँ	106 – 142
भाग 4.	**सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था व उच्च न्यायालय**	
	13. सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायिक व्यवस्थायें	143 – 154
	14. उच्च न्यायालय	155 – 163
	15. अधीनस्थ न्यायालय	164 – 167
	16. लोक न्यायालय	168 – 170
	17. परिवार व ग्राम न्यायालय	171 – 173
	18. अधिकरण	174 – 176
	19. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	177 – 180
भाग 5.	**मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था (राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा)**	
	20. राज्यपाल	181 – 192
	21. राज्य मंत्रीपरिषद व मुख्यमंत्री	193 – 206
	22. राज्य का महाधिवक्ता	207 – 208

	23. राज्य विधानमंडल	209 – 228

Part 2

भाग 6.	**मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था**	
	24. पंचायतीराज व्यवस्था	
	25. नगरीय प्रशासन व्यवस्था	
भाग 7.	**राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक / सांविधिक आयोग एवं संस्थायें।**	
	26. राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक / सांविधिक आयोग एवं संस्थायें	
भाग 8.	**संवैधानिक संशोधन**	
	27. संवैधानिक संशोधन	
	28. संविधान की मूल संरचना	
	29. राज्यो हेतु विशेष प्रावधान	
भाग 9.	**मध्यप्रदेश में सुशासन (अभिशासन व्यवस्था)**	
	30. मध्यप्रदेश में सुशासन (अभिशासन) व्यवस्था	

भारत व मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था

- **Bare Act** : **The Constitution of India** (2025), Professional Book Publishers, Delhi
- **भारत की राजव्यवस्था**, एम. लक्ष्मीकांत, Mc Graw Hill Education (India) Private Limited, Chennai, 7 वां संस्करण
- **राजनीति विज्ञान** : **एक समग्र अध्ययन**, राजेश मिश्रा, Orient Blackswan publishers, Hyderabad, 7 वां संस्करण,
- **भारत का संविधान एक परिचय** (2024), Durga Das Basu, Lexis Nexis, Gurugram, 15 वां संस्करण
- **NCERT BOOKS** : **Class 6** (सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन-1), **Class 8** (सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन-3), **Class 9** (लोकतान्त्रिक राजनीति -1), **Class 11** (भारतीय का संविधान).
- **राजनीति विज्ञान**, Class : 11, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर
- **Indian Government and Politics - 1** (B.A. Political Science textbooks), Maharshi Dayanand University, Rohtak
- **IGNOU STUDY MATERIAL** (**भारतीय संविधान**)
- **भारतीय संविधान** : **एक परिचय**, उत्तराखंड मुक्त विश्वविध्यालय, हल्द्वानी
- **Official Government of India websites and many primary resources**

मध्यप्रदेश की राजनीति : विशेष

- **मध्य प्रदेश का शासन एवं राजनीति**, हरीश कुमार खात्री, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल ; संशोधित संस्करण 2024
- **राजनीति नामा - मध्यप्रदेश : राजनेताओं के किस्से (1956 से 2003),** दीपक तिवारी, Indra Publishing House, (Bhopal), 1ST संस्करण
- **मध्यप्रदेश पंचायती राज व्यवस्था, समर्थन** – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट, भोपाल
- **Official Website of the Government of Madhya Pradesh & many other primary resources**

FOR PYQs/MCQs Papers/Books resources

- MPPSC, Assam PSC, CGPSC, UPSC, UPPSC, RPSC and various other state PSC exam papers
- **Indian Constitution & Polity (2025)**, A. K . Mahajan by YCT Publication Pvt. LtD., Prayagraj.
- **सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन : भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन (2025),** सम – सामयिक घटना चक्र, प्रयागराज (इलाहाबाद)
- **विधि चक्र : भारत का संविधान (2025**), सम – सामयिक घटना चक्र, प्रयागराज (इलाहाबाद)

CHAPTER 1

संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत एवं व्यापक संविधान है, जिसकी ऐतिहासिक जड़ें भारत की समृद्ध परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक आंदोलनों, उपनिवेशवादी शासन की विरासत तथा स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों में निहित हैं। इसकी रचना कोई आकस्मिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भारतीय समाज की दीर्घकालिक आकांक्षाओं — स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता - का सशक्त परिणाम है। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मुख्यतः ब्रिटिश शासन और विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अनुभवों से जुड़ी है। हालांकि, प्राचीन भारत में भी शासन की व्यवस्थित परंपरायें, निर्णय प्रणाली तथा न्यायिक अवधारणायें विद्यमान थीं। किंतु, आधुनिक संवैधानिक विकास की वास्तविक प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुई, जब ब्रिटिश संसद ने भारत में शासन और प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अनेक अधिनियम पारित किये।

इन अधिनियमों में - **रेगुलेटिंग एक्ट 1773**, **पिट्स इंडिया एक्ट 1784**, **चार्टर एक्ट 1813**, **मॉर्ले-मिंटो सुधार 1909**, **मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919**, और **भारत शासन अधिनियम 1935** - जैसे प्रावधानों ने क्रमिक रूप से भारतीयों की भागीदारी, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक संरचना को आकार दिया।

1934 में **एम. एन. रॉय** द्वारा **संविधान सभा की अवधारणा** प्रस्तुत की गई***, जिसे अंततः 9 दिसंबर 1946 को साकार रूप मिला। संविधान सभा ने गहन विचार-विमर्श एवं संशोधनों के पश्चात **26 नवंबर 1949 को संविधान** का **अंगीकरण***, किया, जिसे **26 जनवरी 1950** से **लागू*** किया गया।

इस प्रकार, भारतीय संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि यह एक जीवंत दस्तावेज है, जिसमें राष्ट्र की राजनीतिक चेतना, लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और समावेशी विकास की परिकल्पना समाहित है।

1.2 REGULATING ACT OF 1773

रेग्युलेटिंग अधिनियम, 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित वह पहला महत्वपूर्ण संवैधानिक विधान था, जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने का प्रयास किया गया। यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के संवैधानिक विकास की दिशा में पहला संगठित प्रयास*** था। या कह सकते हैं, कि ब्रिटिश संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार को बल दिया गया***

मुख्य प्रावधान

- **गवर्नर-जनरल की नियुक्ति** : बंगाल के गवर्नर को "गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल" की उपाधि दी गई। **वॉरेन हेस्टिंग्स** इस पद पर नियुक्त प्रथम व्यक्ति बने। साथ ही, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को उनके अधीनस्थ कर दिया गया।

  *First governor general of Bengal = Warren hastings****

- **कार्यकारी परिषद (Executive Council) का गठन** : गवर्नर-जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, जिसमें बहुमत से निर्णय लेने की व्यवस्था थी। अतः हम कह सकते है, कि यह भारत में ब्रिटिश शासन की प्रथम केंद्रीय कार्यपालिका संरचना थी।
- **सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774)*** : कलकत्ता (फोर्ट विलियम) में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गये। सर **एलिजा इम्पे*** इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुये। इस न्यायालय का उद्देश्य ब्रिटिश तथा भारतीय नागरिकों के मध्य न्यायिक विवादों का समाधान करना था।
- **कंपनी प्रशासन पर नियंत्रण** : कंपनी को ब्रिटिश सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति की नियमित सूचना की बाध्यता दी गई तथा भ्रष्टाचार रोकने हेतु अधिकारियों पर निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया।
- **निदेशक मंडल (Court of Directors) की भूमिका** : ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह बनाया गया तथा उन्हें नियमित रूप से प्रशासनिक एवं वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया।

1781 का संशोधन अधिनियम (Amending Act, 1781)

इस अधिनियम को 'न्याय अधिनियम, 1781' (Justice Act, 1781) अथवा 'बंदोबस्त अधिनियम' (Act of Settlement) भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम की व्यावहारिक कमियों को दूर करना तथा कलकत्ता (अब कोलकाता) के सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर-जनरल की परिषद के बीच उत्पन्न संवैधानिक एवं प्रशासनिक टकराव को समाप्त करना था।

1.3 PITT'S INDIA ACT, 1784

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों पर सरकारी नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम की शेष कमियों को दूर करना था। यह अधिनियम कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष राजनीतिक संलिप्तता का संकेतक था।

मुख्य विशेषतायें

दोहरी शासन प्रणाली (Dual System of Governance) : प्रशासनिक कार्यों के विभाजन हेतु दो निकायों की स्थापना की गई :

- **नियंत्रण परिषद (Board of Control)***** : यह निकाय ब्रिटिश सरकार के अधीन था और इसे भारत के राजनीतिक तथा सैन्य मामलों का नियंत्रण सौंपा गया।
- **निदेशक मंडल (Court of Directors)** : यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन व्यापारिक व प्रशासनिक मामलों के लिए उत्तरदायी निकाय था।

महत्वपूर्ण तथ्य !

- नियंत्रण परिषद की स्थापना = Pitts India Act 1784***
- पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को "ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र" (*Territory* in the *possession* of the *British Crown*) के रूप में मान्यता दी गई।***

1.4 CHARTER ACT OF 1813

चार्टर अधिनियम, 1813 **ब्रिटिश संसद** द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित करना, और ईसाई मिशनरियों के प्रचार, चर्च निर्माण और शिक्षा के कार्यों के लिये द्वार खोलना था। इस प्रकार यह अधिनियम ब्रिटिश व्यापारिक वर्ग के बढ़ते दबाव और और भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की मांग के कारण पारित हुआ।

मुख्य प्रावधान

- **व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति** : ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आंतरिक व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।*** अब सभी ब्रिटिश नागरिक भारत में व्यापार कर सकते थे। हालांकि, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार (विशेषत: अफ़ीम संबंधी) पर कंपनी का एकाधिकार यथावत रखा गया।***
- **ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता की घोषणा** : इस अधिनियम ने क्राउन की संप्रभुता को मान्यता दी, पर प्रशासन कंपनी के हाथ में रहा।

*वह अधिनियम जिसने भारत में उन क्षेत्रों पर ब्रिटिश राजशाही की औपचारिक संप्रभुता की स्थापित की, जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण था ? Charter act 1813****

- **धार्मिक स्वतंत्रता – ईसाई मिशनरियों की अनुमति** : अधिनियम द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश, चर्च निर्माण, धर्म प्रचार तथा धर्मांतरण की अनुमति दी गई।*** परिणामत: भारत में धर्मांतरण एवं मिशनरियों द्वारा संचालित शैक्षणिक प्रयासों में वृद्धि हुई।
- **शिक्षा का प्रोत्साहन** : अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा के प्रचार हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारत में विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना के लिये ₹1 लाख वार्षिक अनुदान का प्रावधान किया।

ओरियंटल शिक्षा प्रणाली

Oriental (Latin – Orient) = Eastern

भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान प्रचलित पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है। इस प्रणाली के अंतर्गत भारत की प्राचीन भाषायें, साहित्य, दर्शन, धर्म, विज्ञान एवं गणित जैसी विषयवस्तु पढ़ाई जाती थी।

CHAPTER 2

संविधान का निर्माण

2.1 संविधान सभा की मांग : उत्पत्ति और विकास

भारत में एक स्वतंत्र और स्वदेशी संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की स्थापना की मांग एक दीर्घकालिक राजनीतिक और वैचारिक प्रक्रिया का परिणाम थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़ती लोकतांत्रिक चेतना और ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के प्रति असंतोष का प्रतिबिंब थी। इस मांग के विकास को निम्नलिखित बिंदुओं में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।

- **प्रारंभिक वैचारिक अंकुर (1934)** : भारतीय कम्युनिस्ट नेता एम. एन. रॉय ने सर्वप्रथम 1934 में संविधान सभा की अवधारणा प्रस्तुत की।*** और उन्होंने यह विचार रखा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा चुनी गई एक संविधान सभा के माध्यम से होना चाहिये।
- **कांग्रेस द्वारा औपचारिक मांग (1935)** : 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की आधिकारिक माँग रखी। उनका तर्क था कि, भारत की जनता को अपने भाग्यनिर्धारण में निर्णायक भूमिका मिलनी चाहिये। (एक दल के रूप में 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की)
- **नेहरू का घोषणा पत्र (1938)** : 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा तैयार किया जायेगा और इसमें किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस विचार को 1939 में कांग्रेस द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित किया गया।
- **महात्मा गांधी का समर्थन (1939)** : महात्मा गांधी ने 1939 में 'हरिजन' पत्रिका में लिखे गए अपने लेख "The Only Way" में स्पष्ट रूप से कहा था कि "केवल संविधान सभा ही ऐसा संविधान बना सकती है जो इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ हो और जो सही मायनों में तथा पूरी तरह से जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करे।" ***

> किसने कहा था ""संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है"" ? [MPPSC Civil (Pre) 2022]
> (a) महात्मा गांधी
> (b) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
> (c) जवाहरलाल नेहरू
> (d) एनी बेसेंट

- **ब्रिटिश स्वीकृति का प्रथम संकेत — अगस्त प्रस्ताव (8 अगस्त 1940)** : स्वीकृति का संकेत ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था।
- **क्रिप्स मिशन (1942)** : संविधान निर्माण का प्रथम प्रस्ताव 1942 में **स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे**, भारत आये और उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत में एक स्वतंत्र संविधान सभा का गठन किया जायेगा, जो भारत का भविष्य निर्धारित करेगी।

  यह संविधान निर्माण का प्रथम आधिकारिक प्रस्ताव था।*** हालांकि, मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और भारत के विभाजन की मांग उठाई।

क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव (Cripps Mission Proposal : 1942)

प्रस्ताव	विवरण
1. डोमिनियन स्टेटस	युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को पूर्ण डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। भारत का नया संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा।
2. संविधान सभा	निर्वाचित (प्रांतों से) + नामित (देशी रियासतों से) सदस्य होंगे।***

CHAPTER 3

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषतायें

(Salient Features of the Indian Constitution)

भारतीय संविधान की अद्वितीयता : भारतीय संविधान विश्व के प्रमुख संविधानों से प्रेरित होते हुए भी अपने भारतीय दार्शनिक आधार, संरचना और कार्यान्वयन में विशिष्ट एवं अद्वितीय है। इसकी विस्तृत, समावेशी प्रकृति और सामाजिक-आर्थिक न्याय पर केंद्रित दृष्टिकोण, इसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग बनाते हैं।

3.1 भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषतायें

- **विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान** : यह विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ थीं। जो वर्तमान में बड़कर लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूचियाँ सम्मिलित हैं।

  संविधान की विस्तृतता के प्रमुख कारण :

  - भारत की भौगोलिक और सामाजिक विविधता।
  - भारत सरकार अधिनियम, 1935 से विरासत में प्राप्त विस्तृत प्रावधान।
  - एकल संविधान की अवधारणा (संघ व राज्यों के लिए समान संविधान)।
  - संविधान सभा में अनेक अनुभवी विधि विशेषज्ञों की सघन भूमिका।
  - कई विदेशी संविधानों से प्रावधानों का समावेश।

संविधान के स्रोत और प्रमुख विशेषतायें

क्र. सं.	स्रोत (देश/दस्तावेज़)	भारत के संविधान में अपनाई गई विशेषतायें
1.	भारत शासन अधिनियम, 1935	संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण।
2.	ब्रिटेन का संविधान	संसदीय शासन***, विधि का शासन(विधि के समक्ष समता)***, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली***, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, लोक सेवा आयोग, सचिवालय व्यवस्था *** ।
3.	संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान	मूल अधिकार***, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन***, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उद्देशिका का विचार।
4.	आयरलैंड का संविधान	राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत***, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया*** , शैक्षणिक संस्थाओ हेतु राज्य का अनुदान *** ।
5.	कनाडा का संविधान	सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था***, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में***, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति व राष्ट्रपति हेतु विधेयक सुरक्षित रखना*** , उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, केंद्र राज्य संबंध*** , भारत **राज्यों का संघ** है और संघ में अधिक शक्ति निहित है *** ।
6.	ऑस्ट्रेलिया का संविधान	समवर्ती सूची***, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, उद्देशिका की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।

CHAPTER 4

संविधान की प्रस्तावना

Preamble of the Constitution

संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the Constitution)

संविधान की **प्रस्तावना (Preamble)** किसी भी राष्ट्र के संविधान की **मूल आत्मा** और **उसके उद्देश्यों का घोषणापत्र** होती है। यह संविधान में निहित दर्शन, आदर्शों और लक्ष्यों का संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित परिचय देती है।

- अमेरिकी संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना की परंपरा स्थापित हुई, जिसे बाद में अनेक देशों ने अपनाया।
- भारत ने भी इस परंपरा को अपनाते हुये अपनी प्रस्तावना तैयार की, जो संविधान की आदर्शात्मक एवं वैचारिक प्रस्तावना है।

नानी पालकीवाला (प्रसिद्ध विधिवेत्ता) ने प्रस्तावना को *"संविधान का परिचय पत्र" (Identity Card of the Constitution)* कहा है, जो इसकी गहराई और व्यापकता को दर्शाता है।

किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द जोड़ा गया था ?
[MPPSC Civil (pre) 2023]
(a) पहला संविधान संशोधन
(b) दूसरा संविधान संशोधन
(c) बयालीसवाँ संविधान संशोधन
(d) चवालीसवाँ संविधान संशोधन

प्रस्तावना का ऐतिहासिक मूलाधार

भारतीय संविधान की प्रस्तावना की नींव **पंडित जवाहरलाल नेहरू** द्वारा प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) पर आधारित है, जिसे **13 दिसंबर 1946** को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था*** व **22 जनवरी 1947** को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्र, संप्रभु भारत के आदर्शों, लक्ष्यों और शासन व्यवस्था के स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। आगे चलकर इसे संविधान की प्रस्तावना का आधार बनाया गया।

4.1 प्रस्तावना की विषयवस्तु

"हम, भारत के लोग,*** भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व:संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य*** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय***, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, *** प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949*** को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

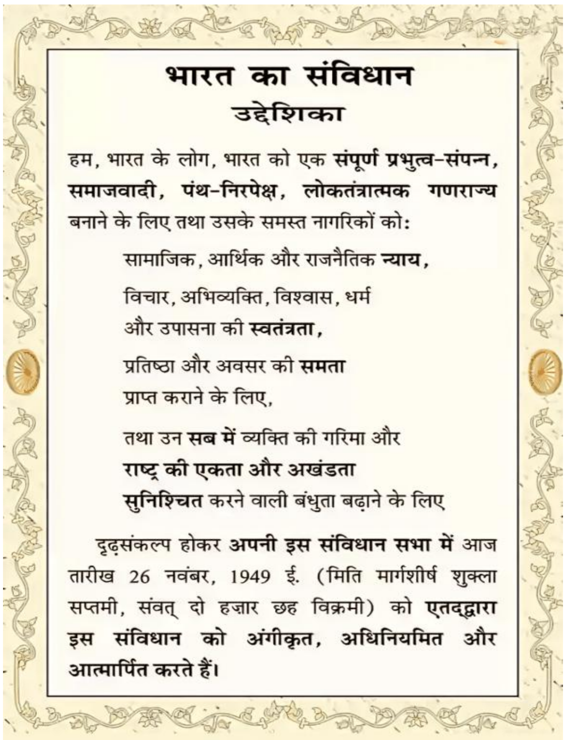
भारत का संविधान
उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित** करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

- संविधान निर्माताओं का **मत या मन मस्तिष्क** है उद्देशिका ***
- **संविधान में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, व 1 बंधुता मिलता हैं ।*****

प्रस्तावना के प्रमुख तत्व

CHAPTER 7

राज्य की नीति के निदेशक तत्व
(Directive Principles of State Policy)

भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy – DPSP) का उल्लेख है।*** यह अवधारणा संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के 1937 के संविधान से ग्रहण की गई हैं ***

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की बहस के दौरान इन निदेशक तत्वों को संविधान की एक **"विशेष विशेषता"** कहा था। वहीं संवैधानिक विद्वान **ग्रैनविल ऑस्टिन** ने इन्हें संविधान की **"मूल आत्मा" (Conscience of the Constitution)*** निरूपित किया है।

7.1 राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की प्रमुख विशेषतायें

भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना हेतु राज्य को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले संवैधानिक सिद्धांत हैं। यद्यपि इनकी प्रकृति गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable) है, फिर भी ये एक लोककल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रमुख विशेषतायें

1. **गैर-न्यायोचित प्रकृति***** : अनुच्छेद 37 के अनुसार, इनका उल्लंघन न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं है।
2. **सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना***** : सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, निर्धनता उन्मूलन तथा वंचित वर्गों के उत्थान को प्रोत्साहन।
3. **लोककल्याणकारी(Welfare State) राज्य की परिकल्पना** : इनका उद्देश्य भारत को एक सक्रिय, उत्तरदायी व कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के रूप में स्थापित करना है।
4. **विधायी प्रवर्तन की आवश्यकता** : ये स्वतः-प्रवर्तनीय (Self-executing) नहीं हैं; इनके क्रियान्वयन हेतु विधायिका को कानून बनाना पड़ता है।
5. **ब्रिटिश भारत से प्रेरणा** : गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 की 'Instruments of Instructions' ने निदेशक सिद्धांतों के लिये एक आंशिक वैचारिक प्रस्तावना प्रदान की।
6. **समाजवादी झुकाव** : ये तत्व सामुदायिक कल्याण, सामूहिक हित, एवं संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा देते हैं, जिससे संविधान में निहित समाजवादी आदर्शों की पुष्टि होती है।
7. **संवैधानिक संरक्षण की सीमा** : यदि कोई कानून निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो, तो केवल इसी आधार पर उसे असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। परंतु, यदि कोई कानून इन तत्वों को साकार करता है, तो न्यायालय उसे मौलिक अधिकारों की कसौटी पर अपेक्षाकृत अधिक संवैधानिक सहिष्णुता प्रदान करता है।
8. **राज्य को नीति-निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश** : निदेशक तत्व राज्य के नीति-निर्माताओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जिससे कि नीतियाँ जनहित एवं सामाजिक न्याय पर आधारित बन सकें।
9. **न्यायिक व्याख्या में प्रभावशीलता** : यद्यपि निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्षतः लागू नहीं होते, फिर भी विधियों की संवैधानिक व्याख्या में न्यायालय इन्हें निर्णायक कारक के रूप में स्वीकार करता है। विशेषकर जब कोई कानून DPSP को कार्यान्वित करने के लिये बनाया गया हो, तो अनुच्छेद 14 या 19 के संदर्भ में न्यायालय उसे संविधान-संगत मान सकता है।

'पुलिस राज्य' बनाम 'लोककल्याणकारी राज्य'

- पुलिस राज्य में शासन का उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी सुरक्षा प्रदान करना होता है, नागरिकों के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप होता है।
- लोककल्याणकारी राज्य, जैसा कि भारतीय संविधान के भाग IV में निहित है, नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।

CHAPTER 8

मूल कर्तव्य
(Fundamental Duties)

भारत के संविधान में प्रारंभ में केवल मूल अधिकारों (Fundamental Rights) को सम्मिलित किया गया था, जबकि मूल कर्तव्यों (Fundamental Duties) का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान निर्माताओं का विचार था कि नागरिकों के कर्तव्यों को संविधान में निहित करना आवश्यक नहीं है। उन्होंने नागरिकों के कर्तव्यों की अपेक्षा राज्य के कर्तव्यों को नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) के रूप में स्वीकार किया।

परिभाषा : "मूल कर्तव्य वे संवैधानिक दायित्व हैं जिन्हें भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक पर राष्ट्र, समाज, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व निभाने हेतु अधिरोपित करता है।"

8.1 संवैधानिक प्रावधानों में मूल कर्तव्यों की प्रविष्टि

बाद में समय के साथ यह अनुभव हुआ कि अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी संवैधानिक मान्यता आवश्यक है। फलस्वरूप:

- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में भाग IV(क) जोड़ा गया।***
- इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A प्रविष्ट किया गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया।***
- बाद में, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक अतिरिक्त कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई।***

प्रेरणा स्रोत - भारत के मूल कर्तव्यों की अवधारणा का स्रोत पूर्व सोवियत संघ (USSR) का संविधान है,*** जहाँ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को समान महत्व प्राप्त था। रूस के संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है :

"नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से अविभाज्य हैं।"

इसके विपरीत, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेक लोकतांत्रिक संविधानों (जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि) में नागरिक कर्तव्यों का कोई पृथक अध्याय नहीं मिलता। तथापि, कुछ संविधानों—विशेषकर जापान—में नागरिक कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है।"

स्वर्ण सिंह समिति (1976)

राष्ट्रीय आपातकाल (1975-77) के दौरान भारत सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य था : नागरिकों के कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने हेतु सुझाव देना।

अनुच्छेद 51-क मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है ? [MPPSC Civil (Pre) 2023]
(a) 10
(b) 11
(c) 12
(d) 15

प्रमुख सिफारिशें

— संविधान में मूल कर्तव्यों का एक पृथक खंड होना चाहिए।
— नागरिक केवल अधिकारों के उपभोग तक सीमित न रहें, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करें।

कुछ अस्वीकृत सिफारिशें : स्वर्ण सिंह समिति की कुछ अनुशंसायें सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दी गईं थी, जैसे :-

— "संसद को यह अधिकार मिले कि वह कानून द्वारा मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान कर सके।"***
— मूल कर्तव्यों से संबंधित कानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सके।
— कर भुगतान को भी मूल कर्तव्य घोषित किया जाये।

CHAPTER 13

सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्थायें (The Supreme Court & Other Judicial Systems)

भारतीय न्यायपालिका की संरचना

भारतीय न्यायपालिका एक **एकीकृत** (Integrated) **और स्वतंत्र** (Independent) **प्रणाली** है, जिसकी संरचना 3 स्तरों में विभाजित है—

1. **सर्वोच्च न्यायालय** (Supreme Court of India) — देश का सर्वोच्च संवैधानिक एवं अपीलीय न्यायालय।
2. **उच्च न्यायालय** (High Courts) — प्रत्येक राज्य या एकाधिक राज्यों के लिए।
3. **जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय** (District & Subordinate Courts) — ज़िला स्तर पर कार्यरत।

सर्वोच्च न्यायालय **संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकर्ता** है। यह संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक और मूल अधिकारों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है।

भारतीय संविधान ने अमेरिकी संविधान के विपरीत एक **एकीकृत न्यायिक प्रणाली** स्थापित की है, *** जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर स्थित है और उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा उनके अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं।

- यह व्यवस्था **भारत सरकार अधिनियम, 1935** से प्रेरित है।
- इसका अधिकार-क्षेत्र केंद्र एवं राज्यों द्वारा निर्मित सभी कानूनों तक विस्तृत है

13.1 भारत के उच्चतम (सर्वोच्च) न्यायालय का गठन एवं अधिकार-क्षेत्र

▶ स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **स्थापना तिथि**: 28 जनवरी, 1950***
- भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना अक्टूबर 1937 दिल्ली में की गई जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीशो की व्यवस्था की गयी थी आजादी के पूर्व तक इसे **Federal Court of India** के नाम से जाना जाता था ***

▶ संवैधानिक आधार

- **भाग V (अनुच्छेद 124 से 147)**: संविधान के भाग V के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन, संरचना, शक्तियों, क्षेत्राधिकार एवं कार्यप्रणाली से संबंधित प्रावधान निर्धारित हैं।
- **संसद की भूमिका**: अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या एवं उनके संबंध में विनियमन का अधिकार संसद को प्राप्त है।
- **अनुच्छेद 348(1)(a)** : कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेज़ी होगी, जब तक संसद अन्यथा न प्रावधान करे

▶ संरचना एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति

1. **वर्तमान संरचना** : भारत के उच्चतम न्यायालय में **कुल 34 न्यायाधीश** होते हैं ***— जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) तथा 33 अन्य न्यायाधीश सम्मिलित हैं।
2. **न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का क्रम**

- **1950** : 1 मुख्य न्यायाधीश + 7 अन्य = 8 न्यायाधीश
- **1956** : न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 10 की गई
- **1960** : संख्या 13, **1977** : संख्या 17
- **1986** : संख्या 25, **2008** : संख्या 30
- **2019** : संसद द्वारा अधिनियम पारित कर संख्या को 34 (33+1) किया गया।***

3. **भाषा संबंधी प्रावधान** : अनुच्छेद 348(1)(a): उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेज़ी होगी, जब तक कि संसद इसके लिए अन्यथा विधि न बनाए।***

❖ **उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) से संबंधित अधिनियम**

क्रम	अधिनियम का नाम	वर्ष	मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या	कुल अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या (मुख्य न्यायाधीश सहित)
1	संविधान का अनुच्छेद 124(1)	1950	7 तक (शुरुआती व्यवस्था)	8 (मुख्य न्यायाधीश सहित)
2	उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम	1956	10	11
3	संशोधन अधिनियम	1960	13	14
4	संशोधन अधिनियम	1977	17	18
5	संशोधन अधिनियम	1986	25	26
6	संशोधन अधिनियम	2008	30	31
7	संशोधन अधिनियम	2019	33	34

13.2 न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया और 'परामर्श' की संवैधानिक व्याख्या

► **नियुक्ति प्रक्रिया : संवैधानिक प्रावधान** : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो इस विषय में अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करता है।***
- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना आवश्यक होता है।***

► **'परामर्श' शब्द की न्यायिक व्याख्या**

न्यायाधीश मामला	वर्ष	मुख्य निष्कर्ष
प्रथम न्यायाधीश मामला (S.P. Gupta बनाम भारत संघ)	1981	'परामर्श' का अर्थ – राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित, कार्यपालिका की प्रधान भूमिका।
द्वितीय न्यायाधीश मामला	1993	'परामर्श' = मुख्य न्यायाधीश व वरिष्ठतम 2 न्यायाधीशों का सामूहिक निर्णय, जो बाध्यकारी होगा।
तृतीय न्यायाधीश मामला (परामर्शात्मक राय)	1998	कॉलेजियम में वरिष्ठतम 4 न्यायाधीश + CJI, बहुमत के आधार पर अनुशंसा; CJI अकेले निर्णय नहीं लेंगे।

► **कॉलेजियम प्रणाली बनाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)**

कॉलेजियम प्रणाली : 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामला से लागू।*** **जिसका उद्देश्य** : न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, कार्यपालिका के अनुचित हस्तक्षेप को रोकना।

संरचना :-

CHAPTER
15

अधीनस्थ न्यायालय
(Subordinate Courts)

अधीनस्थ न्यायालय

भारतीय न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालयों के अधीन कार्य करने वाले जिला एवं अन्य न्यायालयों को सामूहिक रूप से "निम्न न्यायालय" या "अधीनस्थ न्यायालय" कहा जाता है। ये न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं और देश की न्यायिक संरचना के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। इनकी मुख्य भूमिका है –

"जनसाधारण को न्याय तक त्वरित और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना।
व स्थानीय स्तर पर दीवानी एवं फौजदारी मामलों का निपटारा करना।"

संविधान के **भाग VI में अनुच्छेद 233 से 237 तक** अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन, नियुक्ति प्रक्रिया सेवा शर्तें तथा कार्यपालिका से उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

15.1 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति (अनुच्छेद 233)***

जिला न्यायाधीशों की **नियुक्ति राज्यपाल***** द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श कर की जाती है। नियुक्ति दो स्रोतों से हो सकती है—

- **सीधी भर्ती (Bar से)** : उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, अधिवक्ता/प्लीडर के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखता हो,*** तथा किसी भी केंद्र/राज्य सेवा में न हो।
- **प्रमोशन (Judicial Service से)** : राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा से पदोन्नति द्वारा, जिन पर "सेवा में न होना" की शर्त लागू नहीं होती।

जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, इनके पास न्यायिक व प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्ति होती है, साथ ही जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार रखता है।***

अन्य अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति (अनुच्छेद 234) : राज्यपाल द्वार किन्तु परामर्श संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय व राज्य लोक सेवा आयोग से लिया जाता है। यह प्रावधान **जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायिक पदों** (जैसे – सिविल जज, मजिस्ट्रेट) पर नियुक्ति से संबंधित है।

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (अनुच्छेद 235) : संबंधित उच्च न्यायालय के पास; जिसमे **शामिल विषय** – न्यायाधीशों की "पोस्टिंग, पदोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश, अनुशासनात्मक कार्यवाही" आदि तक है।

महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन : 20वाँ संशोधन अधिनियम, 1966 के तहत नवीन अनुच्छेद 233(क) का समावेश किया गया। जिसका उद्देश्य : पूर्व में की गई कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों को वैध ठहराना तथा उनके द्वारा पारित निर्णयों को **विधिक संरक्षण** प्रदान करना।

व्याख्या एवं परिभाषायें

- **'न्यायिक सेवा' का अभिप्राय** : वे अधिकारी जो जिला न्यायाधीश अथवा उससे निम्न स्तर के न्यायिक पदों पर कार्यरत हों।
- **'जिला न्यायाधीश'** शब्द में सम्मिलित हैं: ***
  — City Civil Court Judge (नगर दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश)
  — Additional District Judge (अपर जिला न्यायाधीश)
  — Joint District Judge (संयुक्त जिला न्यायाधीश)

CHAPTER 17

परिवार व ग्राम न्यायालय

Family Court & Gram Nyayalaya

17.1 परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984

अधिनयम का परिचय परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 भारत में पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए एक विशेष विधिक ढाँचा प्रदान करता है। इसका मूल उद्देश्य विवाह एवं पारिवारिक मामलों में मध्यस्थता, संवाद, और त्वरित समाधान को प्रोत्साहित करना है, जिससे पारिवारिक संबंधों की गरिमा बनी रहे और पक्षकारों को सस्ती, सुलभ एवं समयबद्ध न्याय मिल सके।

यह अधिनियम 14 सितंबर 1984 को लागू हुआ और इसके अंतर्गत स्थापित न्यायालयों को "परिवार न्यायालय" (Family Courts) कहा जाता है।

अधिनियम लाने के प्रमुख कारण

- **सामाजिक मांग** – महिला संगठनों और सामाजिक समूहों द्वारा यह मांग उठाई गई कि पारिवारिक मामलों के निपटारे हेतु ऐसे न्यायालय स्थापित हों जो
    - आपसी समझौते को प्राथमिकता दें,
    - कठोर एवं औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं से मुक्त हों।
- **विधि आयोग की सिफारिश (59वीं रिपोर्ट, 1974)** : विधि आयोग ने सुझाव दिया कि पारिवारिक विवादों का निपटारा सामान्य न्यायालयों से अलग दृष्टिकोण से किया जाए, मुकदमे से पहले ही मेल-मिलाप और सुलह को प्राथमिकता दी जाए।
- **सामान्य न्याय प्रणाली की सीमायें** : पारिवारिक वादों का निपटारा भी साधारण दीवानी वादों की तरह विरोधात्मक पद्धति (Adversarial Approach) से किया जाता है, जिससे निर्णय में अनावश्यक विलंब होता है और संबंधों में कटुता उत्पन्न होती है ।

अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य

- पारिवारिक विवादों के लिए विशेषीकृत न्यायालयों की स्थापना ।
- समझौता आधारित समाधान को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना ।
- समाधान प्रक्रिया को कम खर्चीला व समयबद्ध बनाना ।
- न्यायिक प्रक्रिया को लचीला, अनौपचारिक एवं मानवतावादी दृष्टिकोण से संचालित करना ।

प्रमुख विशेषतायें

1. **स्थापना का अधिकार** : राज्य सरकारें उच्च न्यायालय की सहमति से परिवार न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं ।
2. **जनसंख्या आधारित अनिवार्यता** : 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में परिवार न्यायालयों की स्थापना अनिवार्य है ।
3. **विस्तार की संभावना** : राज्य सरकारें आवश्यकता के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे न्यायालय स्थापित कर सकती हैं ।
4. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार** : ये न्यायालय केवल निम्नलिखित प्रकार के पारिवारिक मामलों की सुनवाई करते हैं:
    - विवाह की वैधता, तलाक, वैवाहिक अधिकारों की पुनः स्थापना ।
    - पति-पत्नी की संपत्ति से संबंधित विवाद।
    - संतान की वैधता (legitimacy) से जुड़े मामले।
    - अभिभावकत्व एवं संरक्षक की नियुक्ति।

अधिकार का अस्तित्व	राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को तब प्रख्यापित कर सकता है, जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो।	राज्यपाल किसी अध्यादेश को केवल तब प्रख्यापित कर सकता है जब राज्य विधानमंडल का कोई भी सदन सत्र में न हो।
तत्काल कदम उठाना	राष्ट्रपति केवल तब अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब उसे लगता है कि तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।	राज्यपाल तब अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब उसे लगता है कि तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।
अधिकार क्षेत्र	राष्ट्रपति वही अध्यादेश जारी करता है जिन पर संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है।	राज्यपाल वही अध्यादेश जारी करता है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है।
अधिकार का प्रभाव	राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के समान प्रभावी होता है।	राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के समान प्रभावी होता है।
अधिकार की सीमा	राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की सीमा संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के समान होती है।	राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की सीमा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के समान होती है।
अधिनियम की स्वीकृति	राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है।	राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है।
सुझाव का पालन	राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही प्रख्यापित या वापस कर सकता है।	राज्यपाल अपने द्वारा जारी अध्यादेश को मुख्यमंत्री की सलाह पर ही प्रख्यापित या वापस कर सकता है।
अधिनियम की समाप्ति	राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश छह सप्ताह के बाद समाप्त हो जाता है, यदि संसद उसे अस्वीकृत कर देती है।	राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश छह सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है, यदि राज्य विधानमंडल उसे अस्वीकृत कर देता है।
विशेष निर्देश	राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने के लिए कोई विशेष निर्देश की आवश्यकता नहीं होती।	राज्यपाल को अध्यादेश बनाने से पहले राष्ट्रपति से निर्देश की आवश्यकता हो सकती है।

❖ **क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियां**

विषय	**राष्ट्रपति**	**राज्यपाल**
सजा को क्षमा करना	राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को माफ, कम या स्थगित कर सकता है।	राज्यपाल **मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता**। वह इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
सजा का स्थगन	राष्ट्रपति सजा को स्थगित या माफ कर सकता है।	राज्यपाल किसी सजा को स्थगित या माफ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड के मामले में उसे राष्ट्रपति से मंजूरी की आवश्यकता होती है।
कोर्ट मार्शल सजा	राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल से सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है।	राज्यपाल को कोर्ट मार्शल से संबंधित सजा में कोई अधिकार नहीं होता।

20.8 मध्य प्रदेश : विशेष

मध्यप्रदेश के प्रथम राज्यपाल **डॉ. पट्टाभि सीतारमैया** एक **कुशल चिकित्सक** होने के साथ-साथ **स्वतंत्रता संग्राम** में भी सक्रिय रहे। उनके बाद **श्री बी. पाटस्कर**, **सत्यनारायण सिंह**, **श्री भगवतदयाल शर्मा**, और **श्री सी. एम. पुनाचा** जैसे अनेक राज्यपाल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

❖ **मध्यप्रदेश के राज्यपालों की सूची (1956–अब तक)**

क्रम	नाम	कार्यकाल
1.	श्री बी. पट्टाभि सीतारमैय्या	01/11/1956 से 13/06/1957
2.	श्री हरिविनायक पटास्कर	14/06/1957 से 10/02/1965
3.	श्री के.सी. (क्यसंबिल चेंगलराव) रेड्डी	11/02/1965 से 02/02/1966
4.	जस्टिस पी.वी. दीक्षित (**कार्यवाहक**)	03/02/1966 से 09/02/1966
	श्री के.सी. (क्यसंबिल चेंगलराव) रेड्डी (पुनः)	10/02/1966 से 07/03/1971
5.	**श्री सत्यनारायण सिन्हा** इमरजेन्सी के समय **प्रकाश चंद्र सेठी** को हटा कर **श्यामचरण शुक्ल** को मुख्य मंत्री बना दिया गया था। जब मार्च 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने 9 काँग्रेस शासित राज्यों की विधान सभाओ को भंग कर दिया = **30 April** 1977 से 23 June 1977 = **राष्ट्रपति शासन**)	08/03/1971 से 13/10/1977
6.	श्री निरंजननाथ वांचू	14/10/1977 से 16/08/1978
7.	श्री चिप्पुदिरा मुथाना पुनाचा **राष्ट्रपति शासन** (इंदिरा गांधी *v/s* सुंदरलाल पटवा) = 17/02/1980 से 09/06/1980	17/08/1978 से 29/04/1980
8.	श्री भगवत दयाल शर्मा	30/04/1980 से 25/05/1981
9.	जस्टिस गुरूप्रसन्न (जी.पी.) सिंह (**कार्यवाहक**)	26/05/1981 से 09/07/1981
	श्री भगवत दयाल शर्मा (पुनः)	10/07/1981 से 20/09/1983
	जस्टिस जी.पी. सिंह (पुनः, कार्यवाहक)	21/09/1983 से 07/10/1983
	श्री भगवत दयाल शर्मा (तीसरी बार)	08/10/1983 से 14/05/1984
10.	प्रोफेसर के.एम. चांडी = शिक्षाविद पृष्ठभूमि से	15/05/1984 से 30/11/1984
11.	जस्टिस एम.डी. ओझा (**कार्यवाहक**)	01/12/1984 से 29/12/1987
	प्रोफेसर के.एम. चांडी (पुनः)	30/12/1987 से 30/03/1989
12.	श्रीमती सरला ग्रेवाल = प्रथम महिला राज्यपाल***	31/03/1989 – 06/02/1990
13.	कुंवर मेहमूद अली खान = गैर-कांग्रेसी **राष्ट्रपति शासन** = 15 Dec 1992 से 06 Dec 1993 तक। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सुन्दर लाल पटवा की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंगराव ने निलंबित कर दी।	06/02/1990 – 23/06/1993
14.	डॉ. मोहम्मद शफी कुरैशी	24/06/1993 – 21/04/1998
15.	डॉ. भाई महावीर = शिक्षाविद पृष्ठभूमि से	22/04/1998 – 06/05/2003
16.	श्री रामप्रकाश गुप्ता = गैर-कांग्रेसी	07/05/2003 – 01/05/2004
17.	लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ (**कार्यवाहक**)	02/05/2004 – 29/06/2004
18.	डॉ. बलराम जाखड़	30/06/2004 – 29/06/2009
19.	श्री रामेश्वर ठाकुर	30/06/2009 – 07/09/2011
20.	श्री रामनरेश यादव	08/09/2011 – 07/09/2016

- **अनु. 167(a)** : राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों से अवगत कराना।***
- **अनु. 167(b)** : राज्यपाल द्वारा मांगी गई प्रशासनिक या विधायी जानकारी प्रदान करना।
- **अनु. 167(c)** : यदि राज्यपाल अपेक्षा करे, तो किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद् में विचारार्थ प्रस्तुत करना।

❖ **मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों / सदन का नेता की सूची**

विधानसभा	क्र.	नाम	कार्यकाल
प्रथम (1956–1957)	1	**पं. रविशंकर शुक्ल** (v/s राज्य पाल : डॉ. भोगराजू पट्टाभि सीतारमैया) 1 नवंबर को छोटी दीपावली के दिन इन्होंने शपथ ली, शपथ के दौरान किसी ने कहा भी था, कि अमावश्य की घनी काली रात आने वाली है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लाखों लोग दिये भी तो जलायेंगे। दुर्भाग्यवश यह उनकी अंतिम दीपावली रही, और मध्य प्रदेश का पहला सूरज (रवि) उसी वर्ष के अंतिम दिन (31 दिसम्बर) को पद पर रहते हुये डूब गया। सन् 1957 में होने वाले आम चुनावों के लिए टिकट वितरण के सिलसिले में शुक्ल जी कांग्रेस हाईकमान के बुलावे पर दिल्ली गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें आगामी चुनाव में टिकट न देने का निर्णय लिया था और संकेत दिया था कि उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि इस विषय में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन यह समाचार विभिन्न अखबारों में प्रकाशित हुआ और कई प्रमुख व्यक्तियों को इसकी जानकारी दी गई। यह सूचना मिलने के बाद शुक्ल जी कांग्रेस के जंतर-मंतर स्थित मुख्यालय से सीधे कनॉट प्लेस पहुंचे, जहां उन्होंने अपने एक मित्र के साथ लगभग दो घंटे तक टहलते हुए समय बिताया। लौटने के बाद उसी रात उन्हें हृदयघात हुआ, जिसके कारण उनका निधन हो गया। अगले दिन उनका पार्थिव शरीर भोपाल लाया गया।	01/11/1956 – 31/12/1956
	2	श्री **भगवंतराव मंडलोई** (कार्यवाहक मुख्य मंत्री के रूप में)	09/01/1957 – 30/01/1957
	3	**श्री कैलाशनाथ काटजू** पंडित रविशंकर शुक्ल जी के निधन के बाद मध्यप्रदेश की राजनीतिक स्थिति असमंजसपूर्ण हो गई। इस परिस्थिति में **भगवंतराव मंडलोई** को **कार्यवाहक मुख्यमंत्री** के रूप में शपथ दिलाई गई। हालांकि, इस निर्णय का **तखतमल जैन** ने विरोध किया, जिससे कांग्रेस संगठन के भीतर असंतोष और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। **प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू** जी भी उस समय कैलाशनाथ काटजू को मध्यप्रदेश भेजकर **वी. के. कृष्ण मेनन** को रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहते थे। (यह वही मेनन है, जिन पर 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय सेना की सीमावर्ती तैयारियों में कमी होने का आरोप लगाया गया था।) चूंकि यह निर्णय **कांग्रेस हाईकमान के निर्देश** पर लिया गया था, इसलिए सभी नेताओं ने औपचारिक रूप से इसे स्वीकार तो कर लिया, परंतु भीतर ही भीतर मतभेद और असहमति स्पष्ट रूप से बनी रही।	**31 Jan 1957** – 14/04/1957
द्वितीय (1957–1962)		श्री **कैलाशनाथ काटजू** (पुनः) दूसरी विधान सभा में फिर अध्यक्ष **कुंजीलाल दुबे** और उपाध्यक्ष **अनंत सदाशिव पटवर्धन** चुने गये। **प्रजा सोशलिस्ट पार्टी** के विधायक **चंद्र प्रताप तिवारी** सबसे बड़े विरोधी दल के नेता थे। सन् 1959 के आसपास की बात है, जब **छत्तीसगढ़ डिवीजन के पुलिस डी.आई.जी.** ने मुख्यमंत्री **डॉ. कैलाशनाथ काटजू** जी को फोन पर सूचित किया कि एक अल्पसंख्यक संस्था के बाहर उग्र भीड़ इकट्ठी हो गई है और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। भीड़ को संभालने के लिए गोली चलाने जैसे कदम की परमीशन मांगी। फोन के द्वारा उनका उद्देश्य सूचना देने के साथ मुख्यमंत्री की मंशा जानने का भी था। काटजू को चूंकि धीमा सुनाई देता था इसलिए वे फोन पर चिल्लाये — "जोर से!" —इस पर पुलिस अधिकारी को लगा कि	15/04/1957 से 11/03/1962

INDIAN FOREST SERVICE (IFOS) 2023

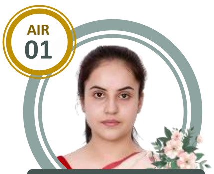
AIR 01 — **Ritvika Pandey** — Forestry Comprehensive Course

AIR 03 — **Swastic Yaduvanshi** — Forestry Comprehensive Course

AIR 05 — **Vidyanshu Shekhar Jha** — Forestry Comprehensive Course + Test Series

AIR 06 — **Rohan Tiwari** — Forestry Comprehensive Course

AIR 10 — **Shashank Bhardwaj** — Forestry Comprehensive Course + Test Series

AIR 14 — **Ankan Bohra** — Forestry Comprehensive Course

AIR 16 — **Prachi Gupta** — Forestry Comprehensive Course

AIR 17 — **Raj Patoliya** — Forestry Comprehensive Course + Test Series

AIR 23 — **Vineet Kumar** — Forestry Comprehensive Course

AIR 27 — **Jatin Babu S** — Forestry Comprehensive Course

AIR 28 — **Gaurav Saharan** — Test Series

AIR 37 — **Yash Singhal** — Forestry Comprehensive Course

AIR 41 — **Nitish Pratik** — Forestry Comprehensive Course

AIR 50 — **Vaasanthi P.** — Test Series

AIR 54 — **Sourabh Kumar Jat** — Forestry Comprehensive Course

AIR 56 — **Ekam Singh** — Forestry Comprehensive Course + Test Series

AIR 57 — **Kunal Mishra** — Forestry Comprehensive Course

AIR 58 — **Atul Tiwari** — Forestry Comprehensive Course

AIR 60 — **Aman Gupta** — Forestry Comprehensive Course + Test Series

AIR 61 — **Sanket Adhao** — Forestry Comprehensive Course

AIR 63 — **Preeti Yadav** — Forestry Comprehensive Course

AIR 65 — **Nihal Chand** — Forestry Comprehensive Course + Test Series

AIR 66 — **Shashikumar S. L.** — Forestry Comprehensive Course

AIR 67 — **Dhino Purushothaman** — Forestry Comprehensive Course

AIR 68 — **Diwakar Swaroop** — Forestry Comprehensive Course

AIR 72 — **Rajesh Kumar** — Forestry Comprehensive Course

AIR 74 — **Krishna Chaitanya** — Forestry Comprehensive Course

AIR 75 — **Harveer Singh Jagarwar** — Forestry Comprehensive Course

AIR 76 — **Akash Dhanaji Kadam** — Forestry Comprehensive Course

AIR 78 — **Himanshu Dwivedi** — Forestry Comprehensive Course

AIR 80 — **Sumit Dhayal** — Forestry Comprehensive Course

AIR 82 — **Priyadarshini** — Forestry Comprehensive Course + Test Series

64 Out of **147** Total Selections in

Indian Forest Service (IFoS) 2023

Congratulations

To all our successful candidates in

AIR 01
Kanika Anabh
Forestry Comprehensive Course | Test Series

AIR 03
Anubhav Singh
Forestry Comprehensive Course

AIR 06
Sanskar Vijay
Forestry Comprehensive Course

AIR 10
Satya Prakash
Test Series

AIR 11
Chada Nikhil Reddy
Forestry Comprehensive Course

AIR 12
Bipul Gupta
Forestry Comprehensive Course

AIR 13
Yeduguri Aiswarya Reddy
Forestry Comprehensive Course

AIR 17
Namratha N
Forestry Comprehensive Course

AIR 18
Divyanshu Pal Nagar
Forestry Comprehensive Course

AIR 21
Akanksha Puwar
Forestry Comprehensive Course

AIR 23
Yogesh Rajoriya
Forestry Comprehensive Course

AIR 25
G Prashanth
Forestry Comprehensive Course | Test Series

AIR 28
Kanishak Aggarwal
Forestry Comprehensive Course

AIR 29
Shashi Shekhar
Forestry Comprehensive Course

AIR 31
Vinay Budanur
Forestry Comprehensive Course

AIR 33
Shraddhesh Chandra
Forestry Comprehensive Course | Test Series

AIR 35
Kaore Shreerang Deepak
Forestry Comprehensive Course | Test Series

AIR 36
Javed Ahmad Khan
Forestry Comprehensive Course

AIR 42
Shruti Chaudhary
Forestry Comprehensive Course

AIR 43
Aravindkumar R
Forestry Comprehensive Course

AIR 44
Kishlay Jha
Forestry Comprehensive Course

AIR 45
Prabhutoshan Mishra
Forestry Comprehensive Course

AIR 48
Abhigyan Khaund
Forestry Comprehensive Course

52 Out of **143** Total Selections in

Indian Forest Service (IFoS) 2024

Online / Offline Batches

Comprehensive syllabus coverage and detailed analysis of PYQs

- Both online / Offline batches
- 2 years of validity with unlimited access.

Study Material

- PYQs and syllabus-based
- Color printed
- Generous use of visual Graphics
- Align with the latest trends and requirements of the exam

Test Series

Personalized feedback with detailed solutions and suggestions for each candidate, ensuring targeted improvement and success in exams.

Leader In Forest Services

A premier institute specializing in forest service exams, including IFoS, ACF, RFO, and ICFRE / ICAR–(ASRB) ARS/NET Examinations.